भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5296

उत्तर देने की तारीख 03.04.2025

जनजाति का समुदाय के रूप में वर्गीकरण

5296. श्री टी. एम. सेल्वागणपति:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शीर्षस्थ मानवविज्ञानियों ने भारत में किसी जनजाति को परिभाषित करने के तरीके में बहुत बड़े परिवर्तन किये जाने की मांग की है और यह भी मांग की है कि किसी समुदाय के वर्गीकरण का मूल्यांकन जनजाति होने या न होने के द्विचर प्रश्न की बजाय जनजातीयता के एक स्पेक्ट्रम के आधार पर किया जाना चाहिए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाल ही में हुए भारतीय मानवविज्ञान कांग्रेस में व्यापक सहमति बनी थी जिसमें भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण नेतृत्व और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अधिकारियों ने भाग लिया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड वही हैं जो लोकुर समिति द्वारा 1965 में निर्धारित किए गए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह सच है कि सैकड़ों अन्य समुदायों ने अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किये जाने की मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क): भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय द्वारा 21 से 23 फरवरी 2025 तक कोलकाता में आयोजित भारतीय मानव विज्ञान कांग्रेस 2025 के भाग के रूप में "जाति आधारित और मुख्यधारा के समुदायों से जनजातीय आबादी को अलग करने के लिए एक पैमाना विकसित करना" विषय पर 23.2.2025 को गोलमेज चर्चा आयोजित की गई जो एक अकादमिक प्रकृति की थी, जिसमें एनसीएसटी के सदस्य और अधिकारियों ने भी भाग लिया।

(ख): भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, जनजातीय समुदायों को अलग करने के पैमाने को विकसित करने के लिए उपयोगी विशिष्ट विशेषताओं पर कोई व्यापक सहमति नहीं बन पाई है। यह इंगित किया गया है कि जनजातीय समुदायों के सांस्कृतिक चिह्नों के बारे में दृष्टिकोणों में अंतर के साथ-साथ क्षेत्रीय विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे (विषय) पर और अधिक अकादमिक विचार-विमर्श की आवश्यकता है।

(ग) और (घ): वर्तमान में, 1965 में लोकुर समिति द्वारा अनुसूचित जनजातियों का वर्गीकरण पाँच मानदंडों नामत: आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, संपर्क में संकोच और पिछड़ापन द्वारा मार्गदिर्शित है। भारत सरकार ने दिनांक 15.06.1999 को (25.06.2002 व 14.09.2022 को पुनः संशोधित) अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सूची को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों में समावेशन, से अपवर्जन और अन्य संशोधनों के दावों पर निर्णय लेने के लिए प्रविधियां निर्धारित की हैं। प्रविधियों के अनुसार, केवल उन्ही प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है और विधान में संशोधन किया जा सकता है, जिनकी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा सिफारिश की गई हो और जिन्हें उचित ठहराया गया हो तथा भारत के महापंजीयक (आरजीआई) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की सहमति प्राप्त हो। समस्त कार्रवाई अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार की जाती है। मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पूर्व-अपेक्षित है।

किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में समावेशन के प्रस्तावों में प्रविधियों के अनुसार कुछ प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के साथ एक नृवंशविज्ञान रिपोर्ट होनी चाहिए। प्रस्तावों की जांच आरजीआई के कार्यालय और फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) द्वारा की जाती है। यदि प्रस्ताव आरजीआई द्वारा अनुशंसित नहीं है, तो राज्य सरकारों को आरजीआई द्वारा उठाए गए बिंदुओं के बारे में सूचित किया जाता है, ताकि अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की जा सके। इसलिए ऐसे कई प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर जांच के अधीन रह सकते हैं।

*****